भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1837

जिसका उत्तर 30 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

कोयला धोवन कंपनियों द्वारा कोयले की प्रत्यक्ष बिक्री

1837. श्री संजय उत्तमराव देशमुखः

श्री अरविंद गणपत सावंतः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि कई कोयला धोवन कंपनियां कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को दरकिनार कर सीधे ग्राहकों को कोयला बेच रही हैं और इससे सीआईएल को राजस्व की हानि हो रही है और यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों के दौरान कोयला धोवन कंपनियों द्वारा की गई प्रत्यक्ष कोयला बिक्री का राज्यवार और कंपनीवार ब्यौरा क्या है और सरकार देश भर में कोयले की मांग को किस प्रकार पूरा कर रही है;

(ख) क्या महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (महाजेनको) ने कोयले की गुणवत्ता में सुधार का दावा किया है, लेकिन महाराष्ट्र राज्य खनिज निगम (एमएसएमसी) और कोयला धोवन कंपनियों ने मिलकर 'महाजेनको' को गुमराह किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जाँच की है और यदि हाँ, तो उसकी रिपोर्ट और तत्संबंधी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सीआईएल और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के हितों की रक्षा और कोयले की बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : सीआईएल/इसकी सहायक कंपनियों के परिसरों से कोयला भेजे जाने के बाद, उसकी हैंडलिंग या प्रसंस्करण हेतु निजी वाशरियों के साथ कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)/उसकी सहायक कंपनियों का कोई औपचारिक समझौता नहीं है। हालाँकि, कुछ मामलों में, विद्युत/गैर-

विद्युत उपभोक्ताओं ने आपसी सहमति से तय शर्तों के आधार पर, धुले हुए कोयले के उठान, धुलाई और आपूर्ति हेतु निजी वाशरियों के साथ द्विपक्षीय समझौते किए हैं। ये लेन-देन सीआईएल के प्रचालन के दायरे से बाहर हैं।

ऐसी निजी वाशरियों के संचालन से सीआईएल को राजस्व की कोई हानि नहीं होती है।

कोयला कंपनियों द्वारा उत्पादित कोयले का वितरण मोटे तौर पर दो माध्यमों से किया जाता है - कोयला लिंकेज और ई-नीलामी। उत्पादन में वृद्धि आधुनिक खनन प्रौद्योगिकियों (जैसे, लॉन्गवॉल, हाईवॉल, सरफेस माइनर्स) को अपनाने, डिजिटल परिवर्तन पहलों और कोयला ब्लॉक विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा निरंतर निगरानी के माध्यम से की जाती है। उदार मानदंड अब 100% एफडीआई की अनुमति देते हैं और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहनों के साथ एक राजस्व-साझाकरण मॉडल लागू है। एमएमडीआर अधिनियम संशोधन (2021) कैप्टिव खानों को अपने कोयले का 50% तक खुले बाजार में बेचने की अनुमति देता है।

(ख) : महाजेनको ने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल), साउथ-ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) से कच्चे कोयले के उठान, उठाए गए कच्चे कोयले के परिष्करण और महाजेनको के विभिन्न ताप विद्युत स्टेशनों को परिष्कृत कोयले की आपूर्ति करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्ति हेतु महाराष्ट्र राज्य खनन निगम (एमएसएमसी) के साथ संविदात्मक समझौते किए हैं। वाशरी संचालकों की एमएसएमसी द्वारा नियुक्ति की जाती है।

एमएसएमसी ने आपूर्ति किए जा रहे धुले हुए कोयले की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी एजेंसी नियुक्त की है, जो धुले हुए कोयले के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर चौबीसों घंटे (24x7) निगरानी और निरीक्षण करती है। यह एजेंसी एमएसएमसी और महाजेनको को आधारभूत रिपोर्ट प्रदान करती है। मांग आने पर डेटा की पुन: प्राप्ति पर नजर रखने के साथ यह जीपीएस के माध्यम से कोयला परिवहन प्रक्रिया की निगरानी भी करती है। इसके अतिरिक्त, यह किसी भी संभावित डायवर्जन या विलंब की पहचान करने के लिए रेक की गतिविधियों पर नज़र रखती है और एमएसएमसी को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

ताप विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता की जाँच एक तृतीय-पक्ष सैंपलिंग एजेंसी द्वारा की जाती है। यह निरीक्षण प्रक्रिया ताप विद्युत संयंत्र (महाजेनको), केंद्रीय कोयला एवं तेल परीक्षण प्रयोगशाला (सीसीओटीएल) और एमएसएमसी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में की जाती है। यदि महाजेनको द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट स्वीकार्य नहीं होती है, तो धुले हुए कोयले की गुणवत्ता की जाँच महाजेनको द्वारा नामित और चयनित केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक तृतीय पक्ष (एनएबीएल-प्रमाणित परीक्षण केंद्र प्रयोगशाला)

द्वारा की जाती है। इसके आधार पर, कोयले की गुणवत्ता को अंततः स्वीकार किया जाता है और सभी संविदात्मक वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

महाजेनको के धुले हुए कोयले के अनुबंधों में गुणवत्ता मानदंड और शास्ति के प्रावधान निर्दिष्ट हैं। विनिर्दिष्ट मानकों से किसी भी विचलन की स्थिति में, एमएसएमसी पर शास्ति लगाई जाती है। कोयले की गुणवत्ता के संबंध में उचित सावधानी बरती जाती है और स्थापित निगरानी तंत्रों के माध्यम से नियमित निरीक्षण किए जाते हैं।

(ग) : इस संबंध में कोयला मंत्रालय द्वारा कोई जांच नहीं की गई।

(घ) : कोयला कंपनियों और उपभोक्ताओं के बीच किए गए ईंधन आपूर्ति समझौते में प्रदत्त वाणिज्यिक नियमों और शर्तों के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) द्वारा उपभोक्ताओं को कोयला बेचा जाता है।

उपभोक्ताओं को आपूर्ति किये जाने वाले कोयले की गुणवत्ता में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, कोयला मंत्रालय ने स्वतंत्र तृतीय पक्ष सैंपलिंग एजेंसियों के माध्यम से कोयले की सैंपलिंग के लिए निर्देश जारी किया है।

****